संख्या - 75/2022/3746/58-1-2022-2/1(21)16

प्रेषक,

संदीप कौर,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी/प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी,

उत्तर प्रदेश।

बाल विकास एवं पुष्टाहार अनुभाग लखनऊः दिनांक 01 नवम्बर, 2022

विषयः- उत्तर प्रदेश सरकार और बिल एवं मेलिण्डा गेट्स फाउण्डेशन (बी.एम.जी.एफ.) के मध्य निष्पादित नवीन मेमोरेण्डम ऑफ को-आपरेशन(एम.ओ.सी.) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश तकनीकी सहयोग इकाई द्वारा जनपद एवं ब्लाक स्तर पर तकनीकी सहयोग प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश सरकार और बिल एवं मेलिण्डा गेट्स फाउण्डेशन(बी.एम.जी.एफ.) के मध्य नवीन मेमोरेण्डम ऑफ को-आपरेशन (एम.ओ.सी.) दिनांक 01.06.2019 से अगले 5 वर्षो के लिये निष्पादित किया गया है। इस सम्बन्ध में ''इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान फार उत्तर प्रदेश'' सहित उक्त एम.ओ.सी. सचिव, चिकित्सा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-725/पांच-9-2019-9(101)/2012, दिनांक 17.06.2019 द्वारा समस्त सम्बन्धित अधिकारियों/हित-धारकों को प्रेषित किया गया। इस मेमोरेण्डम ऑफ को-आपरेशन के अनुसार उत्तर प्रदेश तकनीकी सहयोग इकाई (यूपीटीएसयू) द्वारा प्रदेश के समस्त जनपदों में स्वास्थ्य एवं पोषण के सूचकांकों में सुधार एवं मातृ मृत्यु दर तथा नवजात मृत्यु दर को कम करने के लिये बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग तथा चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को तकनीकी सहयोग प्रदान करेगा। इस हेतु तकनीकी सहयोग इकाई द्वारा जनपद स्तर पर डिस्ट्रिक्ट स्पेशलिस्ट कम्यूनिटी आउटरीच (डीएससीओ) एवं चयनित ब्लाकों में ब्लाक आउटरीच कोआर्डिनेटर (बीओसी) नियुक्त किये गये हैं। डिस्ट्रिक्ट स्पेशलिस्ट कम्यूनिटी आउटरीच (डीएससीओ) एवं चयनित ब्लाकों में ब्लाक आउटरीच कोआर्डिनेटर (बीओसी) की भूमिका एवं उत्तरदायित्व निम्नलिखित हैं:-

(1) ब्लाक आउटरीच कोआर्डिनेटर (बीओसी)- ब्लाक आउटरीच कोआर्डिनेटर चयनित ब्लाकों में प्रजनन मातृ-नवजात एवं बाल स्वास्थ्य (आरएमएनसीएच) तथा पोषण कार्यक्रमों में बाल विकास परियोजना अधिकारी (सीडीपीओ) एवं मुख्य सेविकाओं को निम्नलिखित कार्यों में सहयोग प्रदान करेंगेः-

(क) मुख्य सेविकाओं की क्षेत्र भ्रमण के दौरान मेंटरिंग एवं सहयोगात्मक पर्यवेक्षण करने में।

(ख) समुदाय आधारित गतिविधि (सीबीई) यथा गोद भराई एवं अन्नप्राशन को गुणवत्तापूर्ण बनाने में।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(ग) सेक्टर बैठक के सुदृढ़ीकरण में (माइक्रोप्लानिंग, क्षमतावर्धन आदि)।

(घ) "पोषण माह" एवं "सम्भव अभियान" में (माइक्रोप्लानिंग,उन्मुखीकरण तथा सहयोगात्मक पर्यवेक्षण)।

(च) सहयोग एप्लीकेशन के रोल-आउट में (माइक्रोप्लानिंग एवं प्रशिक्षण)।

(छ) नियमित अन्तराल पर फीडबैक साझा करना।

(2) डिस्ट्रिक्ट स्पेशलिस्ट कम्यूनिटी आउटरीच (डीएससीओ)- जनपदों में जिला कार्यक्रम अधिकारी को निम्नलिखित सहयोग प्रदान करेंगे:-

(1) जिला पोषण समिति की बैठक के सुदृढ़ीकरण में।

(2) सेक्टर बैठक के सुदृढ़ीकरण में (माइक्रोप्लानिंग, क्षमतावर्धन आदि)

(3) समुदाय आधारित गतिविधि (सीबीई) यथा- गोद भराई एवं अन्नप्राशन को गुणवत्तापूर्ण बनाने में।

(4) "पोषण माह" एवं "सम्भव अभियान" में (माइक्रोप्लानिंग, उन्मुखीकरण तथा सहयोगात्मक पर्यवेक्षण)।

(5) सहयोग एप्लीकेशन के रोल-आउट में (माइक्रोप्लानिंग एवं प्रशिक्षण)।

(6) सीडीपीओ एवं मुख्य सेविका के साथ संयुक्त भ्रमण एवं मेंटरिंग करने में।

(7) क्षेत्र भ्रमण से प्राप्त फीड बैक को नियमित अन्तवराल पर साझा करेंगे।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्तानुसार पोषण सम्बन्धी विषयों पर तकनीकी सहयोग इकाई से आवश्यक तकनीकी सहयोग लेते हुये उनसे प्राप्त फीडबैक पर यथावश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुये जिला पोषण समिति एवं पोषण संबंधी बैठकों में उत्तर प्रदेश तकनीकी सहयोग इकाई को सम्मिलित करने का कष्ट करें।

उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीया,

(संदीप कौर)
विशेष सचिव।

संख्या-75/2022/3746(1)/58-1-2022 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. निदेशक, राज्य पोषण मिशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. अधिशासी निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य तकनीकी सहयोग इकाई।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(संदीप कौर)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in